36 (13)

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 30/03/2011

वर्ग 1 बैठक का दिनांक 08/04/2011 विभाग का नाम पंचायत और ग्रामीण विकास

विषय:- ग्राम पंचायतों को राशि आवंटन के संबंध में।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 7503) श्री नारायण प्रजापति

क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) मनरेगा से ग्राम पंचायतो को उनकी मांग के विरूद्ध राशि आवंटित करने की क्या-क्या प्रक्रिया है ?

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा जितनी-जितनी राशि का मांग पत्र जनपद पंचायतों को दिया जाता है उनके अनुरूप उन्हें राशि आवंटित नहीं की जाती है, यदि हाँ तो क्यो बताये ?

(ग) मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटन करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु क्या शासन सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में राशि जारी करने की प्रक्रिया बनाएगा यदि हाँ तो कब तक बताये ?

स्वीकृत

म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
(म.प्र शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
[illegible]

St-13/P-18

भोपाल, दिनांक 19/03/2011

क्रमांक 3005/वि.स./एनआर-11/2011.

प्रतिलिपि -
1. कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.प. समस्त म.प्र की ओर विधानसभा प्रश्न की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त प्रश्न का उत्तर दिनांक 24/03/2011 तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को 10 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें
2. आयुक्त समस्त संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त आयुक्त (वित्त/लेखा) पंचा. मु. [illegible]

(प्रद्युम्न शर्मा)
संचालक
जन.शि एवंगुण.नि.प्रको.
म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद,भोपाल
कार्या. फोन नं 0755-2551489 फैक्स 2550094
[illegible] vs@yahoo.co.in rdmp@yahoo.com

19/3/2011

[illegible] रोजगार गारंटी परिषद,भोपाल
कार्या. फोन नं 0755-2551489 फैक्स 2550094
[illegible] co.in rdemp@yahoo.com

ई-मेल nrega vs@yahoo.co.in. rddmp@yahoo.com